दिल्ली विकास प्राधिकरण
लेखा अधिकारी (चिकित्सा)-I कार्यालय
सी-1/207, द्वितीय तल, सी-ब्लॉक, विकास सदन
आई.एन.ए.,नई दिल्ली-110023

सं. एफ8(3)2015-16/एम.सी./एन.एम.एस./पार्ट-V/463 दिनांक: 24.05.2019

परिपत्र

विषय: सी.जी.एच.एस. पैनल के अस्पतालों (जिन्हें आगे दि.वि.प्रा. पैनल में शामिल किया गया है) द्वारा दि.वि.प्रा. चिकित्सा कार्ड धारकों को क्रेडिट सुविधा।

1. सं. एफ2(11)2015-16/एम.सी.-II/पार्ट/56 दिनांक: **07.02.2017** द्वारा दि.वि.प्रा. चिकित्सा कक्ष ने शुरूआत में 'क्रेडिट सुविधा' हेतु 18 अस्पतालों के अनुमोदन का परिचालन किया, जो दि.वि.प्रा. चिकित्सा कार्ड धारकों (कार्यरत/पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी/ उनके आश्रित) के लिए उपलब्ध हैं ताकि वे निम्नलिखित 04 चिकित्सा आपातकालीन परिस्थितियों में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकें:-

   "क्रेडिट सुविधा केवल हृदय रोगों/हृदयघात, दुर्घटना मामलों, पक्षाघात मामलों, श्वास क्षय मामलों, विघटित फेफड़ों के लिए उपलब्ध होगी"

2. सं. एफ2(11)2015-16/एम.सी.-II/156 दिनांक: **18.08.2017** द्वारा
   एक अन्य कल्याणकारी उपाय के रूप में वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ स्तरीय समिति ने 18 क्रेडिट सुविधा अस्पतालों की सूची में 03 अतिरिक्त अस्पतालों (बी.एल.कपूर अस्पताल-करोल बाग, पार्क अस्पताल-पश्चिम विहार और भगवती अस्पताल-रोहिणी) को जोड़ने की अनुमति दी, जिससे इन अस्पतालों की संख्या 21 हो गई है।

3. अब **(दिनांक 28.03.2019 की बैठक में)** एक अन्य कल्याणकारी उपाय के रूप में वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ स्तरीय समिति ने क्रेडिट सुविधा अस्पतालों की सूची में 05 अतिरिक्त अस्पतालों (वेकंटेश्वर अस्पताल-द्वारका), आकाश अस्पताल-द्वारका, पार्क अस्पताल-गुड़गॉव, पार्क अस्पताल-फरीदाबाद,

Scanned by CamScanner

एफ.आई.एम.एस. (फीम्स) अस्पताल-सोनीपत) को जोड़ने के लिए अनुमोदन दिया है, जिससे अस्पतालों की संख्या 26 हो गई है।

26 अस्पतालों की अद्यतन सूची जहाँ ऊपर उल्लिखित विशिष्ट आपातकालीन रोगों के लिए क्रेडिट सुविधा उपलब्ध होगी:-

(क) दक्षिण जोन-
(i) मूल चंद अस्पताल, लाजपत नगर, नई दिल्ली।
(ii) प्राइमस अस्पताल, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली।
(iii) बत्रा अस्पताल, महरौली, नई दिल्ली।
(iv) फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल, ओखला, नई दिल्ली।

(ख) पश्चिमी जोन-
(i) दिल्ली हार्ट एंड लंग्स अस्पताल, पंकुइया रोड, नई दिल्ली।
(ii) कालरा अस्पताल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।
(iii) आर.एल.के.सी. मेट्रो अस्पताल, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली।
(iv) बी.एल.कपूर अस्पताल, पूसा रोड, नई दिल्ली।
(v) पार्क अस्पताल, केशोपुर, नई दिल्ली।
(vi) वेंकटेश्वर अस्पताल, द्वारका, नई दिल्ली।
(vii) आकाश अस्पताल, द्वारका, नई दिल्ली।

(ग) उत्तरी ज़ोन-
(i) जयपुर गोल्डन अस्पताल, रोहिणी, नई दिल्ली।
(ii) सरोज अस्पताल, रोहिणी, नई दिल्ली।
(iii) भगवती अस्पताल, रोहिणी, नई दिल्ली ।

(घ) पूर्वी जोन
(i) मेट्रो अस्पताल, प्रीत विहार, दिल्ली।

रा.रा.क्षे

(ङ) गाजियाबाद-
(i) यशोदा अस्पताल, नेहरू नगर, गाजियाबाद।

(च) नोएडा-
(i) कैलाश अस्पताल (नोएडा), उ० प्र०।
(ii) मेट्रो अस्पताल (नोएडा), उ० प्र०।

(छ) ग्रेटर नोएडा-
(i) कैलाश अस्पताल ग्रेटर (नोएडा), उ० प्र०।

(ज) गुड़गांव-
(i) पारस अस्पताल, गुड़गांव, हरियाणा।
(ii) पार्क अस्पताल, गुड़गांव, हरियाणा।

(झ) फ़रीदाबाद-
(i) मेट्रो अस्पताल।

Scanned by CamScanner

(ii) एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स।

(iii) पार्क अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा।

(ञ) **सोनीपत-** (i) निदान अस्पताल, सोनीपत, हरियाणा।

(ii) एफ.आई.एम.एस. (फीम्स) अस्पताल, सोनीपत, हरियाणा।

उपर्युक्त क्रेडिट सुविधा - निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों/ वित्तीय जाचों की शर्त पर होगी:-

क. **प्रत्येक मामले में क्रेडिट सीमा केवल 3.00 लाख रूपये प्रतिबंधित** की जाएगी। उसके पश्चात्, अस्पताल से अग्रिम विधिवत् पूर्ण अनुमति प्राप्त करनी होगी।

ख. **5 दिनों के बाद अस्पताल में रूकने की स्थिति में** अस्पताल द्वारा दि.वि.प्रा. से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

ग. **'क्रेडिट सुविधा' केवल हृदय रोगों हृदयघात** (हार्ट अटैक), दुर्घटनाग्रस्त मामले, पक्षाघात मामले, श्वसनतंत्र विकार मामले, विघटित फेफड़ों के लिए उपलब्ध होगी।

घ. 'क्रेडिट सुविधा' केवल सीजीएचएच की दरों पर ही प्रतिबंधित की जाएगी और अस्पताल यह नोट करें कि दि.वि.प्रा. द्वारा केवल सीजीएचएस दरों की प्रतिपूर्ति ही की जाएगी। किसी विशेष उपचार/बढ़ी हुई दरों, स्टेंट्स आदि/इम्पलान्ट के लिए, रोगियों को स्वयं ही अंतर लागत/राशि जमा करनी होगी।

ङ. अस्पतालों को 'स्वागत कक्ष' पर एक नोट रखना होगा कि केवल गंभीर रोगों के लिए गंभीर रोगी, जैसा कि पूर्व खंड में वर्णित है, को ही 'क्रेडिट सुविधा' प्रदान की जाएगी। छोटे आई पीडी उपचार जैसे बुखार, मोतियाबिन्द ऑपरेशन, पथरी के ऑपरेशन आदि में 'क्रेडिट सुविधा' प्रदान नहीं की जाएगी। तथापि, दि.वि.प्रा कार्ड धारकों/उनके आश्रितों हेतु 'गंभीर रोगों' के उपचार के लिए सीजीएचएस दरों पर चुने हुए अस्पतालों में 'क्रेडिट सुविधा' उपलब्ध होगी।

संक्षेप में क्रेडिट सुविधा के लिए निम्नलिखित आधारभूत शर्तें होंगी:-

'क्रेडिट सुविधा केवल उन्हीं रोगियों को प्रदान की जाएगी, जो हॉस्पिटल इमरजेंसी में गंभीर समस्याओं जैसे हार्ट अटैक, दुर्घटनाग्रस्त मामलों, पक्षाघात मामलें, श्वसन तंत्र

Scanned by CamScanner

विघटित फेफड़े (डिकंम्पनसेटेड लंग्स), को लेकर पहुंचे हो और संबंधित चिकित्सा उपचार जैसे उच्च रक्त चाप/मधुमेह आदि का उपचार भी क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत किया जाएगा।

(बी.एम. तिवारी)

उप मुख्य लेखा अधिकारी (चिकित्सा)

प्रतिलिपि प्रेषित (सूचनार्थ):-

01. उपाध्यक्ष के विशेष कार्य अधिकारी।
02. वित्त सदस्य के विशेष कार्य अधिकारी।
03. अभियंता सदस्य के निजी सचिव।
04. प्रधान आयुक्त (कार्मिक) के निजी सचिव।
05. केंद्रीय सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव।
06. केंद्रीय विधि सलाहकार के निजी सचिव।
07. आयुक्त (भूमि प्रबंधन) के निजी सचिव।
08. आयुक्त (भूमि निपटान) के निजी सचिव।
09. आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव।
10. आयुक्त (कार्मिक) के निजी सचिव।
11. आयुक्त (आवास) के निजी सचिव।
12. आयुक्त (प्रणाली) के निजी सचिव।
13. आयुक्त (योजना) के निजी सचिव।
14. मुख्य वास्तुकार के निजी सचिव।
15. मुख्य अभियंता (मुख्यालय)।
16. सभी जोनल मुख्य अभियंता।
17. निदेशक (भूमि लागत निर्धारण/वित्त सलाहकार(आवास)।
18. निदेशक (आवास)-I एवं II
19. निदेशक (वित्त)/निदेशक(आंतरिक लेखा परीक्षा)।
20. निदेशक (कार्मिक)-I एवं II
21. निदेशक (भूमि)
22. निदेशक (प्रशिक्षण)
23. निदेशक (प्रणाली)

Scanned by CamScanner